प्रेस नोट   जनपद संतकबीरनगर   दिनांक 11.06.2024

अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक मंगलवार परेड का किया गया निरीक्षण, दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 11.06.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड मे साप्ताहिक मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में सम्मिलित पुलिस कर्मियों के टर्नआउट को चेक करते हुए सभी अधिकारी / कर्मचारीगणों को ड्यूटी के दौरान उच्च कोटि की वर्दी पहनने व जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया। निरीक्षण के पश्चात कर्मियों को शारीरिक रुप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरुपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई। निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन की बेहतर साफ-सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा पुलिस लाइन के आदेश कक्ष मे सभी गार्द रजिस्टरों को चेक करते हुए गार्द की सुरक्षा के संबंध मे सभी गार्द कमांडरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया
- ***थाना मेहदावल पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 28 वाहनों से 26,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 11.06.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 28 वाहनों से 26,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता को किया गया बरामद

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री श्याम मोहन*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 070/2024 धारा 363/366 भा0द0वि0 के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता अभिनाश पुत्र रामचरन निवासी गाम फेउसी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 18.03.2024 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा

महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 11.06.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री भानु प्रकाश यादव, कां0 अमित कुमार यादव, म0आ0 कुमारी सुनिता।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले मे वाँछित 01 बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 314/2024 धारा 363/366/376(3) भादवि व 5j(2)/6 पास्को एक्ट से संबंधित 01 वांछित बाल अपचारी को मलौली चौराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त बाल अपचारी द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गये थे तथा दुष्कर्म आदि घटना कारित की गई थी। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर 19.05.2024 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था, महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना धनघटा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 11.06.2024 को उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रमाशंकर प्रसाद, का0 सुरेश यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले मे वाँछित 01 बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 314/2024 धारा 363/366/376(3) भादवि व 5j(2)/6 पास्को एक्ट से संबंधित 01 वांछित बाल अपचारी को मलौली चौराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त बाल अपचारी द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गये थे तथा दुष्कर्म आदि घटना कारित की गई थी। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर 19.05.2024 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था, महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना धनघटा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 11.06.2024 को उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रमाशंकर प्रसाद, का0 सुरेश यादव।